





न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण : संख्या - 110/2020 ज.प्र.प. शीर्षक ... बनाम ...

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	किस्म का. या. तक ही रास्ते की आवश्यकता है।
	खसरा नं. 254 व 255 में रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
	उक्त रिपोर्ट से सहमत होकर प्राचीन के अधिकार ने पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया।
	अनुसार अकार में भी पूर्व रिपोर्ट अनुसार प्राचीन की खातेदारी ग्राम के आसपास खिलानाम रास्ता नहीं होने से रास्ता कायम कराने हेतु सहमति दी। जिससे न्यायालय का मत है कि तहसीलदार राजसमूह की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 2-7-2024 अनुसार प्राचीन की खातेदारी के साथ पास जाने जाने के लिए खिलानाम रास्ता नहीं होने से पाछा गया रास्ता आवश्यकता शामिल है। जिससे दिनांक 2-7-2024 की प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार विपक्षीय की आराजी 261, 262, 263 व 254 में तहसीलदार राजसमूह द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा इस में दर्शा अनुसार दिया जाना उचित है।
	अतः प्राचीन द्वारा प्रस्तावित खिलानाम रास्ता 254 में रास्ता अधिकृत पक्का होने से बर्खास्त किया जाता है। राजसमूह गांव भांडी देकरान में विपक्षीय की खातेदारी में तहसीलदार राजसमूह द्वारा प्रस्तावित अनुसार 20 फिट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या - 261 में स 0-0157 हेतु, खसरा संख्या - 262 में स 0-0087 हेतु, खसरा संख्या 263 में स 0-0207 हेतु, खसरा संख्या 254

